

केन्द्रीय विद्यालय संगठन

केन्द्रीय विद्यालय संगठन (मु.)
 18, संस्थागत क्षेत्र, शहीद जीत सिंह मार्ग, नई दिल्ली- 110016
KENDRIYA VIDYALAYA SANGATHAN (HQ)
18, Institutional Area, S.J. Marg, New Delhi 110016.
Tel.: 011-2695168, 8860748880
Email- mpquota@kvs.gov.in
Website: www.kvsangathan.nic.in

F. No.110331/03/2020-21/KVS(HQ)/Sp.Disp/MP (LS)

दिनांक- 26.08.2020

सांसद संस्तुति पर प्रवेश आदेश

माननीय सांसद **Shri Sunil Kumar Soni** के द्वारा के.वि.सं कूपन संख्या. 93 के माध्यम से की गई संस्तुति के आधार पर निम्न विद्यार्थियों को माननीय सांसद के लिए विशेष छूट प्रवेश योजना के अंतर्गत सत्र 2020-21 में प्रवेश दिया जाना अनुमोदित किया जाता है:-


S.N.	Name of the Child	Father's/Mother's Name (in Capital letter) and address with mobile No.	Class	Name of KV
1	चेतन कौशिक	पवन कुमार कौशिक, मो 9893930299	9	क्रमांक-1 डब्ल्यूआरएस कालोनी रायपुर
2	दुर्गा नायक	गोरेलाल नायक, मो 9770566125	1	क्रमांक-1 डब्ल्यूआरएस कालोनी रायपुर
3	वर्तिका शर्मा	आशीष शर्मा, मो 9826971546	1	क्रमांक-2 डीडी नगर रायपुर
4	जान्हवी साहू	तोषण कुमार साहू, मो 7999143685	1	क्रमांक-2 डीडी नगर रायपुर
5	लीजा साहू	यशवंत कुमार साहू, मो 9009837129	9	क्रमांक-2 डीडी नगर रायपुर
6	अथर्व कुमार	सौरभ तिवारी, मो 8516903669	1	क्रमांक-1 डब्ल्यूआरएस कालोनी रायपुर
7	आहाना दुबे	अंचल दुबे	6	क्रमांक-2 डीडी नगर रायपुर
8	विधिका ठाकुर	अतीश सिंह ठाकुर, मो 9827194130	2	क्रमांक-2 डीडी नगर रायपुर
9	सक्षम अग्रवाल	पुनीत अग्रवाल, मो 9165433333	5	क्रमांक-1 डब्ल्यूआरएस कालोनी रायपुर
10	वत्सल पाठक	अतुल कुमार पाठक, मो 8357848690	2	क्रमांक-2 डीडी नगर रायपुर

प्रिया ठाकुर

कृ. पृ. 3.

निर्देश:-

- (i) विद्यार्थी, अन्यथा के. वि. स. की वर्तमान प्रवेश दिशानिर्देशिका 2020-21 के अनुसार पात्र होना चाहिए ।
- (ii) इन प्रवेशों की संख्या कक्षा की नियत संख्या के ऊपर एवं अलावा (over and above) होगी। प्रवेश की अंतिम तिथि **31.08.2020** है।
- (iii) प्राचार्य, संबन्धित केन्द्रीय विद्यालय को निर्देशित किया जाता है कि वे उपरोक्त विद्यार्थी के अभिभावकों को प्रवेश हेतु अविलम्ब सूचित करें।


संयुक्त आयुक्त (शैक्षिक)

प्रतिलिपि:

1. Shri Sunil Kumar Soni माननीय संसद सदस्य को ई. मेल से सादर सूचनार्थ।
2. उपायुक्त, के वि सं, RAIPUR संभाग को सूचनार्थ। (ई. मेल)
3. प्राचार्य- संबन्धित विद्यालय को आवश्यक कार्यवाही हेतु। (ई. मेल)

